सं0-11/2015/1142/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2015

विषयः- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत देय पेंशन एवं समाजवादी पेंशन की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/30 टी0सी0 1, दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-2450/26-3-2014, दिनांक 19.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय पेंशन एवं समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को त्रैमासिक पेंशन का भुगतान (माह जून 2015, माह सितम्बर 2015, माह दिसम्बर 2015 एवं माह फरवरी 2016) किया जाना सुनिश्चित करें।

3- कृपया उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/30 टी0सी0 1, दिनांक 10.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-2450/26-3-2014, दिनांक 19.12.2014 के प्रस्तर-2 एवं 3 को संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-11/2015/1142(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- निदेशक, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, उ0प्र0।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

6- संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी0एफ0एम0एस0, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, सातवाँ तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

7- महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गवर्नमेंट बिजनेस, लखनऊ।

8- नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

11- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।

12- समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।